न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 46 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सुरेश सोलंकी पुत्र रतनलाल माली निवासी बेरा कमेडा बाग, सोजत सिटी, तहसील–सोजत, जिला– पाली राज0।		01. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, तहसील– सोजत, जिला– पाली। 02. उषादेवी पत्नी विजयराज सुथार निवासी– सोजत सिटी, तहसील – सोजत, जिला– पाली। 03. सुकराराम पुत्र मांगाजी घांची निवासी बेरा अस्तलिया नेहडा बेरा सोजत सिटी तह0 सोजत। 04. मूर्ति श्री नृसिंह भगवान मन्दिर पता सोजत सिटी तहसील– सोजत, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री सम्पतराज देवड़ा एवं श्री किशन सोनी अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक :— 21/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि खातेदारी भूमि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय की खसरा नंबर 2262 / 1 हैक्टर की स्थित है जो सरहद मौजा सोजत के खसरा नंबर 2259, 2260, 2261 / 2, 2261 / 1 की सीमाओं से चारों तरफ घिरा हुआ है। सरहद मौजा सोजत के खसरा नंबर 2259 रकबा 0.2570 हैक्टर व खसरा नंबर 2260 रकबा 0.1250 हैक्टर जो कि मूर्ति श्री नृसिंह भगवान की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा खसरा नंबर 2261 / 1 रकबा 0.3173 हैक्टर उषादेवी पत्नी विजयराज सुथार की खातेदारी की है तथा खसरा नंबर 2261 / 2 रकबा 0.6375 हैक्टर चैनाराम, शिवलाल पिसरान सुकराराम घांची की खातेदारी की है। परिवादी को अपने जोत में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 2259, 2260, 2261 / 1, 2261 / 2 सोजत चक नंबर 02 तहसील सोजत की जोत में नया मार्ग / विधमान मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 2262 / 1 में जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु व रास्ता का राजस्व रेकर्ड मे तरमीम हेतु प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ते की चौडाई 20 फीट मान कर प्रस्ताव तैयार किया गया है जो वर्तमान मे रास्ता कदीम से प्रचलित है लेकिन राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शे में दर्शाया हुआ नहीं है, जिसे दर्शाना न्यायहित में है। मात्र 2261 / 1 मे ही रास्ता लाल स्याही से तरमीम किया हुआ है जिसके आगे प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2262 / 1 की कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए राजस्व रेकर्ड में रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

तरमीम किया हुआ नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी की खसरा नंबर 2262/1 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए विकल्प में कोई रास्ता नहीं है। अतः अधिवक्ता मय परिवादी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 2259, 2260, 2261/1, 2261/2 मे से दिलाए जाने व रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किए जाने के आदेश किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतराज देवडा, अप्रार्थी सं0 03 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 3 सुकराराम ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ख.नं. 2262 व 2265/2 में से होकर प्रार्थी के चिपते ही अप्रार्थी सं0 4 की कृषि भूमि जो नेशनल हाइवे से निकटतम होने से ख.नं. 2257 से 2260 मे से दिलाया जावे। अप्रार्थी सं0 3 की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिया जावे क्योंकि अप्रार्थी सं0 3 की बहुत ही छोटी भूमि है, यदि इसमें से रास्ता दिया जाता है तो काश्त करने योग्य नहीं बचेगी। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी कृषि जोत में पहुंच हेतु ख.नं. 2261/2 में से प्राप्त करने का अधिकारी है। ख.नं. 2262/1 में पहुंच हेतु 2260 में से कतई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ख.नं. 2260 डोली की जमीन हैं। अप्रार्थी सं01 व 2 द्वारा पर्याप्त अवसर देने पर भी जवाब प्रार्थना पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1137 दिनांक 14.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। जिस पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से पुनः पक्षकारो के उपस्थिति में जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/24/904 दिनांक 27.06.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 2262/1 में पहुचने हेतु कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। निकटतम प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा मे मार्क एबीसीडी के बीच की भूमि हैं। प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 2261 में 4×18.5 = 0.0074 है0, ख0नं0 2261/2 में 4×50 = 0.0200 है0, ख0नं0 2260 में

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

4×45.75 = 0.0183 है0, ख0नं0 2259 में 4×23 = 0.0092 है0 में से होकर प्रस्तावित हैं। ख.नं. 2259 व ख.नं. 2260 की भूमि मूर्ति श्री नृसिंह भगवान वाके देह मन्दिर सोजत सिटी के नाम दर्ज है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 2259, 2260, 2261 की वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 3937170/- रूपये प्रति हैक्टर तथा ख.नं. 2261/2 की वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 478682/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार कुल राशि 29396175/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सोजत की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 2259, 2260, 2261/1, 2261/2 मे से दिलाए जाने व रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किए जाने के आदेश किए जाने की ईश्तदुआ की है। जबाव बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी कृषि जोत में पहुंच हेतु ख.नं. 2261/2 में से प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं0 3 की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिया जावे क्योंकि अप्रार्थी स0 3 की बहुत ही छोटी भूमि है, यदि इसमें से रास्ता दिया जाता है तो काश्त करने योग्य नहीं बचेगी। ख.नं. 2262/1 में पहुंच हेतु 2260 मे से कतई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ख.नं. 2260 डोली की जमीन हैं। आपत्ति दर्ज करते हुए रास्ता नहीं दिये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यातिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत चक द्वितीय पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 2259, 2260, 2261, 2261/2 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

:- आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 2262/1 में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 2259, 2260, 2261, 2261/2 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से कुल राशि 293961.75/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
01	2259	0.2570	मुर्ती श्री नृसिंह भगवान वाके देह मन्दिर सोजत सिटी हिस्सा-पूर्ण सा.देह खातेदार	4 मी0 × 23 मी0 = 0.0092 है0	72443.93 /-रू
02	2260	0.1250		4 मी0 × 45.75 मी0 = 0.0183 है0	144100.42 /-रू
03	2261/2	0.6375	सुकरिया पुत्र मांगा हि0 पूर्ण जाति घांची सा. देह खातेदार	4 मी0 × 50 मी0 = 0.0200 है0	19147.28 /-रू
04	2261	0.0120	उषादेवी पत्नि विजयराज हि0 1/4 जाति सुथार सा. देह खातेदार	4 मी0 × 18.5 मी0 = 0.0074 है0	14567.54 /-रू
			सुकरिया पुत्र मांगा हि0 1/2 जाति घांची सा. देह खातेदार		29135.08 /-रू
			सुमन पत्नि गणपतलाल हि0 1/4 जाति सुथार सा. देह खातेदार		14567.54 /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/08/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)